



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53542

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -  
**2501/2026**

शिव बाबू पाठक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शिवम सिंह, सृजन मेहरोत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल मेहरोत्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0423/2025, धारा 64, 74, 352, 351(2) और 351(3) बी.एन.एस., 2023, थाना- अंकुर विहार, जिला- गाजियाबाद में उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करता है:-
  - (i) आवेदक को आवेदक और सूचनाकर्ता के बीच विवाद के कारण इस मामले में फंसाया गया है।
  - (ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में बी.एन.एस., 2023 की धारा 74, 352, 351(2), 351(3) के तहत दर्ज की गई थी, हालांकि, विवेचना के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले में सुधार किया गया और आवेदक के विरुद्ध बलात्कार के आरोप भी लगाए गए।
  - (iii) आवेदक ने एक रिट याचिका, दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या **1735/2026** (शिव बाबू पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) दाखिल की थी, जिसमें इस न्यायालय ने यह पाते हुए कि सभी अपराध सात वर्ष तक की अवधि से दंडनीय थे, अपने आदेश दिनांक 29.01.2026 के माध्यम से उक्त याचिका के प्रतिवादियों को बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 35 के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
  - (iv) बलात्कार के आरोप को जोड़ना केवल उपर्युक्त रिट याचिका में आवेदक के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश को विफल करने के लिए है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है और उनमें से चार मामलों में आवेदक या तो दोषमुक्त हो चुका है या न्यायालय द्वारा कार्यवाही रद्द कर दी गई है और एक मामले, मुकदमा अपराध संख्या 373/2024, धारा 329(3) बी.एन.एस., 2023 में आवेदक को दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या **10669/2025** (शिव बाबू पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 के माध्यम से बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 35 का लाभ प्रदान किया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक मामले का मुख्य अभियुक्त है। आवेदक ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है और अपने बयानों में उसने स्पष्ट रूप से आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया है। आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दी गई व्याख्या का खंडन नहीं किया।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर इस प्रार्थना पत्र की पोषणीयता पर आपत्ति जताई कि रिट याचिका इस न्यायालय के विचाराधीन है। हालांकि, आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उक्त रिट याचिका पर बल नहीं दिया गया है।
6. रिट याचिका के खारिज होने के संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के आलोक में, न्यायालय की राय में, आवेदक के अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अधिकार में कोई कटौती नहीं होती है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की आपत्ति को खारिज किया जाता है।
7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
8. प्रथम सूचना रिपोर्ट बी.एन.एस., 2023 की धारा 74, 352, 351(2), 351(3) के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। प्रथम सूचनाकर्ता को लगभग 42 वर्ष की वयस्क महिला बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 23.11.2025 को दर्ज की गई है और उसमें घटना की कोई तिथि उल्लिखित नहीं है। बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच मौद्रिक विवाद है। आवेदक ने भी सूचनाकर्ता और अन्य के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 308(2), 351(2), 351(3) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 34/2026 दर्ज कराया है। उपरोक्त सभी तथ्य और परिस्थितियां मौद्रिक विवाद की ओर इशारा करती हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बलात्कार के आरोप केवल अपराध की गंभीरता बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं।
9. ऊपर चर्चा किए गए मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
10. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
11. आवेदक- शिव बाबू पाठक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
  - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
  - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
  - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
12. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजिव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

17 मार्च, 2026

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"